मुड़ाव... ...तहसील)

11/8/25

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। आवेदकगण वकील के द्वारा जवाब पेश करने हेतु वक्त चाहे जाने का निवेदन किया गया। आवेदकगण वकील के उक्त निवेदन को स्वीकार कर उभयपक्ष वकील की तरफ आपत्ति पत्र पर बहस सुनी गयी। दोनों का आपत्ति पत्र भी खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज रजिस्टर हो कर के पत्रावली रिकॉर्ड रूम में शामिल हो।

...(तहसील)
मुड़ावर ...(तहसील)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
196 / 2025	28.07.2025	11.08.2025

बउनवान

1. हरिसिंह पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी रानोठ तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— प्रार्थी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र देवीसहाय
2. शुभराम पुत्र उदमीराम
3. फूलसिंह पुत्र माडूराम
4. राकेश पुत्र फूलसिंह
5. सुधीर पुत्र शिवराम
6. शिवराम पुत्र इन्द्राज
7. सरजीत पुत्र प्रभाती
8. दीपक पुत्र सरजीत
9. सुरेन्द्र पुत्र शुभराम
10. रामकिशन पुत्र जगराम
11. सुभाष पुत्र जगराम
12. राजेन्द्र पुत्र फूलसिंह
13. लालाराम पुत्र माडूराम
14. हेमसिंह पुत्र लालाराम
15. धर्मवीर पुत्र रामसिंह
16. पुष्पेन्द्र पुत्र लीलाराम जातियान जाट निवासीयान रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

श्री मदनलाल सावरिया —: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री अशोक चौधरी —: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर ... तिजारा

अन्तर्गत धारा 212 RT Act 1955
प्रार्थना पत्र संख्या :- 196/25
अनुवान :- हरिसिंह बनाम हरिसिंह
आदेश दिनांक :- 11.08.2025

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उक्त वाद के समर्थन में मिन प्रार्थी ने दस्तावेज व शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी 1071 रकबा 2.13 है०, में 1/2 भाग मिन प्रार्थी का व 1/2 भाग मिन प्रार्थी की पत्नी का रहा है तथा आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी व मिन प्रार्थी की पत्नी के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थी की पत्नी फौत हो चुकी है तथा आराजी पर मिन प्रार्थी ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा मिन प्रार्थी का मिन प्रार्थी की पत्नी से आराजी के बाबत कोई विवाद नही है। इसलिए सहखातेदार को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थीगण गैर वास्ता व गैर काबिज व्यक्ति है, जिसका विवादित आराजी से कोई लेना देना व सम्बन्ध व सरोकार नही है, लेकिन मिन प्रार्थी की आराजी रोड के साथ लगती हुयी है तथा अप्रार्थीगण की आराजी गोचर भूमि के साथ लगती हुयी है मात्र अप्रार्थी स0 1 की आराजी ख०न० 1069 मिन प्रार्थी की आराजी के साथ लगती हुयी है, जो आराजी भी रोड के साथ लगती हुयी है, लेकिन अप्रार्थीगण आपस में साजबाज होकर लट्ठ के बल पर मिन प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा, आराजी में से नया रास्ता कायम करने पर उतारू हो रहे है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है।
5. यह है कि प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है, जो कानून कायदे में विश्वास रखता है जो शान्तिपूर्वक अपने कब्जेकाश्त की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण मूठ मर्द व लडाका प्रवृति के व्यक्ति है, जो आपस में साजबाज हो रहे है तथा मिन प्रार्थी की राजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी के आराजी पर रास्ता कायम करना चाहते है तथा मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है।
6. यह है कि अब दिनांक 25/7/2025 को अप्रार्थीगण एकराय होकर हाथों मे लाठी, फर्सी लेकर, मिन प्रार्थी की आराजी पर आये तथा आकर जबरन कब्जा कर, रास्ता कायम करने का प्रयास किया, जिस पर मिन प्रार्थी ने अपप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा हो गये तथा ऐलानिया तौर पर मिन प्रार्थी को धमकी दी है कि हम तेरी आराजी पर जबरन कब्जा कर, आराजी में से रास्ता कायम करके रहेगे तथा तुझे आराजी पर काश्त नहीं करने देगे। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायगुखारस्मत पैदा होती है, यदि वाकई अप्रार्थीगण अपने इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये और मिन प्रार्थी की आराजी पर जबरन कब्जा कर, मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर दिया तथा मिन प्रार्थी की आराजी में से जबरन रास्ता कायम कर लिया तो मिन प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी, तथा मिन प्रार्थी को दिगर मुकदमें बाजी में

(फा०ट्रे०)
मुण्डावर ... जारा)

फंसना पडेगा, तथा दावा करना ही बेमायना हो जावेगा, चूंकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इसलिए दावा हु० ई० दवामी पेश किया जाना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी को ता.फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यो आराजी आराजी ख०न० 1071 रकबा 2.13 है०, वाके ग्राम रानोठ तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 पर जबरन कब्जा नही करे, ना ही मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल करे, ना ही मिन प्रार्थी के काश्त कार्य व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे, ना ही आराजी पर जबरन कोई रास्ता कायम कायम करे व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। हल्फनामा संलग्न है।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री अशोक कुमार चौधरी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बिना जबाव प्रार्थना पत्र पेश करे ही सिधे बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम रानोठ में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी की व प्रार्थी की पत्नि की है। वर्तमान में प्रार्थी की पत्नि का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थीगण जब्रन प्रार्थी की आराजी में से रास्ता निकालना चाहते है। प्रार्थी स्वयं की खातेदारी आराजी है। इसमें अप्रार्थी का कोई लेना देना नही है। विवादित आराजी से लगता हुआ कोई रास्ता नही है। यदी अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी से रास्ता चाहता है तो वह विधिवत रूप से उपस्थित होकर कानूनों के अनुसार सक्षम न्यायलय में उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करे। यदी अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी से जब्रन रास्ता निकालता है तो प्रार्थी को भारी हानी होने की संभावना बना हुई है। इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि यह कहना सही है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी से लगभग 80–90 वर्षो से आते जाते रहे है। प्रार्थी की आराजी में से अप्रार्थीगण की आराजी तक कदमी रास्ता है। अब प्रार्थी के मन में बेईमानी आकर उस कदमी रास्ते को रोक दिया गया है। जिसके कारण अप्रार्थीगण अपनी आराजी तक पहुचने हेतु कोई रास्ता/पहुच मार्ग नही है। प्रार्थी, अप्रार्थी व अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में विवादित आराजी में से 08 फिट चौडा रास्ता हेतु लिखित कार्यवाही गई। राज्य सरकार द्वारा कदमी रास्तो को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मनगढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

सहायक [illegible] (का०ट्रे०)
मुण्ड़ावर ([illegible]-तिजारा)

इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदार काश्तकार दर्ज है। पत्रावली में संलग्न दिनांक 22.06.2007 का आपसी समझोता पत्र व पटवारी मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1071 में 50–60 वर्षो से कदमी रास्ता चालु था परन्तु वर्तमान में उस रास्ते को बन्द कर दिया गया। जो गलत है क्योकि यदी कई वर्षो से कोई कदमी रास्ता चालू है तो उसे बन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को किस प्रकार क्षति पहुचा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एवं खसरा नम्बर 1071 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज0 पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0